JharkhandStateNews
Bridging Digital Divide

झारखण्ड सरकार
वन एवं पर्यावरण विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

राष्ट्रीय गंगा नदी के प्रदूषण के संबंध में वाद सं0–196/2014 कृष्ण कांत सिंह बनाम राश्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण मामले में दिनांक 17.11.2014 को माननीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित न्यायादेश का सार तत्व

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली ने वाद सं0–196/2014 (कृष्ण कांत सिंह बनाम राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण) में गंगा नदी में प्रदूषण के संबंध में चिंता व्यक्त करते हुए 3 समितियों का गठन किया है । पहली **प्रधान समिति** में सचिव, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, सचिव, जल संसाधन विभाग, भारत सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद् के अध्यक्ष के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, एन0सी0टी0 दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव तथा संबंधित राज्यों के सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण पर्षद आदि सदस्य हें । इसके अतिरिक्त एक **संचालन समिति** गठित की गई है, जिसके अध्यक्ष, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश हैं तथा सदस्य के रूप में मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल, अन्य संबंधित राज्यों के वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद् के सदस्य सचिव तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के सदस्य सचिव के रूप में हैं । राज्य स्तर पर वन एवं पर्यावरण विभाग की अध्यक्षता में **राज्य स्तरीय समिति** भी गठित की गई है, जिसमें राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के सदस्य सचिव, नगर विकास विभाग, उधोग विभाग, पेयजल एंव स्वच्छता विभाग के प्रतिनिधि के साथ–साथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वैज्ञानिक, नेरी के डायरेक्टर तथा ख्यातिप्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों को रखा गया है ।

संचालन समिति एवं राज्य स्तरीय समिति केंद्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएगी एवं प्रधान समिति को इसकी सूचना देगी । इन समितियों को मुख्य रूप से निम्न कार्य करने हैं–

1. राज्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अत्यधिक जल प्रदूषण पैदा करने वाली उधोगों की सूची सरकार की वेबसाईट पर डालना ।
2. जल प्रदूषण पैदा करने वाली उधोगों को Effluent Treatment Plant लगाने का निदेश दिया गया है । ऐसा नहीं करने पर इन उधोगों को बंद करने का भी निदेश है ।
3. जीरो डिस्चार्ज उद्योगों के संबंध में मार्गदर्शन जारी करने का भी निदेश दिया गया है अर्थात् औद्योगिक प्रदूषण को संबंधित प्रतिष्ठान स्वयं ट्रीट कर कोई भी प्रदूषण जल में या नदी में नहीं छोड़ें।
4. ऐसे नालों को चिन्हित किया जाना है, जिनसे प्रदूषण हो रहा है, उनमें ई0टी0पी0 लगाने का भी निदेश दिया गया है ।

प्राधिकरण ने यह निदेश दिया है कि इस कार्य में राज्य के सभी संस्थान, पुलिस सहित सभी संस्थान पूर्ण रूप से मदद करेंगे ।

Note- राष्ट्रीय गंगा नदी के प्रदूषण के संबंध में वाद सं0–196/2014 कृष्ण कांत सिंह बनाम राश्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण मामले में दिनांक 17.11.2014 को माननीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित पूर्ण न्यायादेश www.greentribunal .gov.in में देखा जा सकता है।

(बी0सी0 निगम)
विशेष सचिव
वन एवं पर्यावरण विभाग,
झारखण्ड, रांची।

****

PR No: 119639(Forest and Environment)

Published On 13/12/2014